



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए चोरी करने व अवैध असलहा बरामद होने के मामले में एक आरोपी को **07 वर्ष का कारावास व कुल 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 07.08.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी करने व अवैध असलहा बरामद होने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- अभियुक्तगण सोनू उर्फ टोटा पुत्र सुन्दर निवासी अतरपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा घर में घुसकर चोरी करने व अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 547/2019 धारा 457, 380, 411 भादवि, मु0अ0सं0 557/2019 धारा 398, 401 भादवि, मु0अ0सं0 559/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 563/2019 धारा 414 भादवि पंजीकृत किये गये थे।
- मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 07.08.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो द्वितीय हापुड़ द्वारा 07 वर्ष का कारावास व कुल 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द्र शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री सुरेशपाल, पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहरीर है0का0 रविश कुमार का विशेष योगदान रहा।

